समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 126/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री कैलाश बिहारी सिंह, पे0-श्री उमेश प्रसाद सिंह, सा0-एकपरहा, पो0-औराही एकपरहा, थाना- सिंहेश्वर, जिला- मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 01/1985 (सिंहेश्वर थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

श्री कैलाश बिहारी सिंह द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त मूल में संलग्न कर स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए अंकित किया है कि पारिवारिक कलह एवं कई अन्य समस्याओं में फँस जाने के कारण अब तक शस्त्र क्रय नहीं कर पाए है एवं अब अस्वस्थ्य रहा करते है, जिस कारण से शस्त्र क्रय नहीं करना चाहते है। इनके द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् श्री कैलाश बिहारी सिंह को प्रदत्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 01/1985 (सिंहेश्वर थाना) को रद्द किया जाता है।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी श्री कैलाश बिहारी सिंह द्वारा जमा किए गए दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 01/1985 (सिंहेश्वर थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र पंजी में ''रद्द'' प्रविष्टि करवाकर अपना हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 43 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14-02-14

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री कैलाश बिहारी सिंह, पे0-श्री उमेश प्रसाद सिंह, सा0-एकपरहा, पो0-औराही एकपरहा, थाना- सिंहेश्वर, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा